में व्यस्त है। अतः इत्तला होकर
पत्रावली आइन्दा 29/1/24 को पेश हो।

29/1/24

पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों को सुना।
अवलोकन पत्रावली पर [illegible] [illegible]
विस्तृत निर्णय से निस्तारित करके सम्बन्धित
न्यायालय द्वारा जारी / निर्णय पृथक जारी हो।
पत्रावली निर्णय उपरान्त दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O), गुडामालानी
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 106 / 1998

वादीगण
1. भगवानाराम पुत्र केसाराम
2. जगमालराम पुत्र केसाराम
3. सोनाराम पुत्र केसाराम
4. हरीराम पुत्र केसाराम
5. सिदाराम पुत्र केसाराम
जाति विश्नोई निवासी नई उन्दरी, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण
1. विरधाराम पुत्र फगलूराम (फौत) के कायम मुकाम
   1/1 रामाराम पुत्र विरधाराम
   1/2 पूनमाराम पुत्र विरधाराम
2. भैराराम पुत्र फगलूराम (फौत) के कायम मुकाम
   2/1 देवाराम पुत्र भैराराम
   2/2 हनुमान पुत्र भैराराम
   2/3 बाबूराम पुत्र भैराराम
3. धोकलाराम पुत्र चिमाराम के कायम मुकाम
   3/1 भगवानाराम पुत्र धोकलाराम
   3/2 जेती पुत्री धोकलाराम
   3/3 मीरा पुत्री धोकलाराम
   3/4 गवरी पुत्री धोकलाराम
4. जांवताराम पुत्र चिमाराम के कायम मुकाम
   4/1 सोनाराम पुत्र जांवताराम
   4/2 हरूराम पुत्र जांवताराम
   4/2/1 मेघाराम पुत्र हरूराम
   4/2/2 मका पुत्र हरूराम
   4/2/3 मूली पत्नी हरूराम
   4/3 भैराराम पुत्र जांवताराम
   4/4 उदाराम पुत्र जांवताराम
   4/5 बाबू पुत्र जांवताराम
   जाति विश्नोई निवासी नई उन्दरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
   4/6 चनणी पुत्री जांवताराम पत्नी चेनाराम पुत्र धना जाति विश्नोई निवासी नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
   4/7 रूखमण पुत्री जांवताराम पत्नी शेरा पुत्र नारायणराम जाति विश्नोई निवासी जूनी उन्दरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
   4/8 बाधू पत्नी सूजा पुत्र अरजन जाति विश्नोई निवासी नगर तहसील गुडामालानी
   4/9 खीवणी पत्नीजांवताराम (फौत होने से विलोपित)
5. हीराराम पुत्र पोकरराम
6. सांवताराम पुत्र चिमाराम
   6/1 भगवानाराम पुत्र सांवताराम
   6/2 लिछमणा पुत्र सांवताराम
   6/3 किशना पुत्र सांवताराम
   6/4 जैकन पुत्र सांवताराम
   जाति विश्नोई निवासी नई उन्दरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
7. भगवानाराम पुत्र सांवताराम जाति विश्नोई निवासी नई उन्दरी तहसील गुडामालानी
8. जेती पुत्री धोकलाराम पत्नी रामा जाति विश्नोई निवासी बाण्ड तहसील गुडामालानी

सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा बालोतरा
0. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री नारायण कुमावत् अधिवक्ता वादीगण
2. श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 29.01.2024

वादीगण ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188 के अन्तर्गत पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 चिमा पुत्र समेला की संन्तान हैं। ग्राम नई उन्दरी तहसील गुड़ामालानी में वादीगण के दादा चिमा पुत्र समेला के समय से खेत खसरा नम्बर 8 रकबा 46–03 बीघा तथा खसरा नम्बर 35 रकबा 143 बीघा कुल रकबा 189–03 बीघा का आया हुआ है। चिमा पुत्र समेला के 6 पुत्र फगलू, केसा, धोकला, जांवता, पोकरा व सांवता हैं, जिनमें से फगलू संवत 2026 में एवं केसा संवत 2038 में फौत हुए। वादीगण के दादा चिमा पुत्र समेला संवत 2027 में फौत हुए। वादीगण के दादा के फौत होने पर वादीगण के पिता केसा का नाम वतौर वारिसान उक्त खसरान की भूमि में अंकित नहीं किया गया जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्से की भूमि पर वादीगण के पिता व वादीगण के पिता के बाद वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा इसी अनुसार 1/6 हिस्से की भूमि वादीगण की पैतृक हक हकूक की भूमि है। प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर वादीगण की हिस्से की भूमि का भी बेचान कर वादीगण को उनके पैतृक हकों से बेदखल करने पर आमदा है। इसलिये राजस्व रेकर्ड में अपने पैतृक हकों की घोषणा करवाने एवं प्रतिवादीगण से अपने हिस्से की भूमि अलग करवाकर बंटावाडा कराना आवश्यक होने से उक्त वाद खातेदारी घोषणा, बंटावाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3, 7, 8 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा वादीगण के वाद पत्र का जबाव दावा मय मजीद उजरात पेश कर कथन किया कि मौजा उन्दरी के खेत खसरा नम्बर 8 रकबा 46–03 बीघा, खसरा नम्बर 35 रकबा 143 बीघा कुल रकबा 189–03 बीघा चिमा का वक्त सेटलमेंन्ट पर्चा लगान जारी हुआ था, चिमा के फौत होने के बाद में क्योंकि

रीडर कोर्ट. गुड़ामालानी

फगलू पहले फौत हो गया था तथा पोकरा भी पहले फौत हो ... प्रत्येक परिवार का 1/5 हिस्सा म्यूटेशन दर्ज किया गया। केसा के परिवार वाले पीढियों के खेत जो कि गांव फुर तहसील सांचोर में ही काश्त करते थे वहीं रहते थे, उन्होंने अपना हिस्सा सांचोर में लेना उचित समझा इसलिये चिमा के फौत होने के बाद में अपना नाम खातेदारी में केसा ने नहीं लिखवाया व गांव सांचोर में नया सेटलमेंट होने के कारण सन 93 में वादीगण के नाम से गांव फुर में पीढियों के खेत उनके नाम से दर्ज हुए। इसलिये केसा का उक्त विवादित आराजी ग्राम नई उन्दरी के खेत खसरा नम्बर 8 व 35 की भूमि को कोई हक हिस्सा नहीं होने से वादीगण उक्त आराजी में खातेदारी हक नहीं रखते हैं। मजीद उजरात में कथन किया कि वादीगण के पिता केसा जो चिमा का लडका जरूर है ने गांव फुर तहसील सांचोर में पीढियों के खेत खसरा नम्बर 679, 652, 653, 654, 678,, 710 व 788 कुल रकबा 12–28 हैक्टेयर देना मंजूर किया तथा गांव उन्दरी नई उन्दरी में अपना हिस्सा तर्क कर दिया इसलिये वादीगण अब उपरोक्त दावा नई उन्दरी का नहीं ला सकते, अतः वादीगण का दावा खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय में वादपत्र, जबाबदावा, दस्तावेजात प्रस्तुत होने पर निम्न विवादक कायम किये गये :–

1. आया मौजा नई उन्दरी के खेत खसरा नम्बर 8 व 35 में वादीगण के 1/6 भाग के तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4, 7 प्रत्येक के 1/6 भाग के तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के 1/6 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के 1/6 भाग के खातेदारी घोषित कराने का अधिकारी हैं?

   (वादीगण)

2. आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है?

   (वादीगण)

3. वादीगण हिस्सानुसार विभाजन कराने का अधिकारी हैं?

   (वादीगण)

4. आया वादीगण ने अपने पिता केसा जो चिमा का लडका है ने गांव फुर तहसील सांचोर में पीढियों के खेत खसरा नम्बर 679, 652, 653, 654, 678, 710, 788 कुल रकबा 12–28 हैक्टेयर देना मंजूर किया तथा उन्दरी गांव में अपना हिस्सा तर्क कर दिया इसलिये वादी अब उपरोक्त दावा नहीं ला सकते?

   (प्रतिवादीगण)

5. आया वादीगण तमाम पीढियों के खेतों के बंटवाडा नहीं लावें तब तक यह बटवाडा का दावा चल नहीं सकता है?

   (प्रतिवादीगण)

6. आया वादीगण ने परेशान करने के लिये यह दावा किया है, इसलिये वादीगण से प्रतिवादीगण विशेष खर्चा 3000 रूपये पाने का अधिकारी है?

   (प्रतिवादीगण)

7. सहायता।

वादीगण के जिम्मे तनकीयात को साबित करने के लिये वादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य में PW-1 जगमाल, PW-2 भगवाना पुत्र सांवताराम, PW-3 मांसीगा, PW-4 तिलोका, को उपस्थित कर मय साक्षी बयान कलमबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 पर्चा लगान, प्रदर्श–2 से 5 संवत् 2029 तक की जमाबदियां, प्रदर्श–6 नामान्तरकरण, प्रदर्श–7 जमाबन्दी संवत् 2030 से 33, प्रदर्श–8 नामान्तकरण संख्या 70, प्रदर्श– 9 से 14 जमाबन्दीयां, प्रदर्श–15 नामान्तकरण, प्रदर्श–16 जमाबन्दी प्रदर्शित करवाये गये।

प्रतिवादीगण के जिम्मे तनकीयात को साबित करने के लिये प्रतिवादीगण द्वारा पर्याप्त अवसर लिये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार की लिखित व मौखित साक्ष्य पेश नहीं गई है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का गम्भीरता से अवलोकन अध्ययन किया। न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि उक्त आराजी का पर्चा लगान वादीगण के दादा चिमा पुत्र समेला के नाम जारी हुआ तथा चीमा की फौतगी पर उक्त आराजी प्रदर्श–6 के अनुसार चिमा के वारिसान धूखला, जावता, सांवता पि0 चिमा, हीरा, पुरखा पि0 पोकरा, विरधा भेरा पि0 फगलू के नाम दर्ज की गई। जबकि वादीगण के पिता केसाराम भी चिमा का जायन्दा पुत्र होने से चिमा की फौतगी पर विरासत के रूप में केसा का नाम भी उक्त खातेदारी में दर्ज किया जाना था। प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य द्वारा उक्त आराजी में वादीगण का 1/6 हिस्सा होने की पुष्टि की है तथा इसी अनुसार कब्जा काश्त होने का भी कथन किया है। इस प्रकार वादीगण के जिम्मे तनकीयात को वादीगण मौखिक व लिखित साक्ष्य से साबित करने में सफल हुए हैं तथा प्रतिवादीगण के जिम्मे तनकीयात को साबित करने के लिये प्रतिवादीगण द्वारा जवावदावा के अतिरिक्त किसी प्रकार की मौखित व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे प्रतिवादीगण अपने जिम्मे तनकीयात को साबित करने में असफल रहे हैं। चूंकि उक्त आराजी वादीगण की पैतृक आराजी हैं जिसमें अपना हिस्सा घोषित करबाकर बंटवाडा करवाने के अधिकारी है। अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र खुडाला के राजस्व ग्राम नई

उन्दरी के खेत खसरा नम्बर 8 रकबा 46–03 बीघा तथा खसरा नम्बर 35 रकबा 143 बीघा कुल रकबा 189–03 बीघा की भूमि में वादीगण को 1/6 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29-01-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर (S.D.O) गुडामालानी